

[2013] 1 एस. सी. आर 916

बिहार राज्य और अन्य

बनाम्

निर्मल कुमार गुप्ता

(सिविल अपील संख्या 128/2013)

08 जनवरी, 2013

[के. एस. राधाकृष्णन और दीपक मिश्रा, न्यायाधीशगण]

बिहार उत्पाद शुल्क (देशी/मशालेदार देशी शराब की खुदरा बिक्री के लिए लाइसेंस का निपटान) नियम, 2004-नियम-19, 20 और 24-नीलामी के पक्ष में उत्पाद शुल्क दुकानों का निपटान - खरीदार-अग्रिम प्रतिभूति के भुगतान में चूक-चूक के बावजूद, लाइसेंस जारी किया गया-चूक को देखते हुए, निपटान की तारीख से लाइसेंस जारी करने की तारीख तक बढ़े हुए लाइसेंस शुल्क की मांग-उच्च न्यायालय ने कहा कि चूक को माफ माना जाएगा क्योंकि चूक के बावजूद लाइसेंस जारी किया गया था-अभिनिर्धारित: खरीदार नियम-19 का पालन करने में विफल रहा। प्रश्नगत व्यापार की प्रकृति को देखते हुए चूक को माफ नहीं माना जा सकता है-नियम-24 के अनुसार खरीदार को निपटान की तारीख से लाइसेंस शुल्क का भुगतान करना आवश्यक है-इसलिए, लाइसेंस शुल्क की मांग उचित है।

बिक्री अधिसूचना के अनुसार, 5 जुलाई, 2006 को उत्पाद शुल्कों की दुकानों का प्रतिवादी के पक्ष में समझौता हुआ। प्रत्यर्थी को अग्रिम प्रतिभूति राशि के रूप में वार्षिक भुगतान का एक चौथाई हिस्सा लाइसेंस शुल्क के रूप में देना पड़ता था। वह समय पर ऐसा करने में विफल रहे। उन्होंने आवश्यक राशि को तीन किश्तों में जमा किया। लाइसेंस 5 जुलाई, 2006 को जारी किया गया था। चूंकि प्रत्यर्थी लाइसेंस की

शर्तों का पालन करने में विफल रहा। इस अवधि के लिए लाइसेंस शुल्क की मांग अग्रिम जमाराशि के भुगतान में देरी होने पर 5 जून 2006 से शुरू होकर, 5 जुलाई 2006 तक की गई थी। उच्च न्यायालय ने प्रत्यर्थी की रिट याचिका को यह कहते हुए स्वीकार कर लिया कि अग्रिम प्रतिभूति राशि के भुगतान में चूक को इस तथ्य को ध्यान में रखते हुए माफ कर दिया गया है कि चूक के बावजूद लाइसेंस जारी किया गया था; और यह कि प्रत्यर्थी लाइसेंस जारी करने की तारीख से भुगतान करने के लिए उत्तरदायी था, न कि समझौते की तारीख से। इसलिए वर्तमान अपील।

अपील को अनुमति देते हुए,

1. प्रत्यर्थी को अग्रिम प्रतिभूति राशि के रूप में वार्षिक लाइसेंस शुल्क का एक चौथाई भुगतान करने की आवश्यकता थी, लेकिन वह समय पर ऐसा करने में विफल रहा। उन्होंने आवश्यक राशि को तीन किशतों में जमा किया। इस प्रकार, प्रत्यर्थी बिहार उत्पाद शुल्क, 2004 के नियम-19(देशी/मसालेदार देशी शराब की खुदरा बिक्री के लिए लाइसेंस का निपटान) नियम, 2004 की धारा 19 का पालन करने में असफल रहे। [पैरा 19] [926-डी-एफ]

2. 2004 के नियम 20 में स्पष्ट रूप से यह अभिधारणा दी गई है कि यदि अग्रिम प्रतिभूति राशि नियम-19 के तहत निर्धारित समय सीमा के अनुसार जमा नहीं की जाती है। वो निपटान और लाइसेंस, यदि जारी किया जाता है, तो रद्द कर दिया जाएगा और यदि कोई जमा की गई राशि हो तो, सरकार द्वारा जब्त कर ली जाएगी। इस प्रकार, निपटान और लाइसेंस जारी करने के बीच अंतर है। [पैरा 14] [924-जी]

3. वर्तमान मामले में इस आचरण के माध्यम से चूक की क्षमा के सिद्धांत को आकर्षित नहीं किया जा सकता है। व्यापार की प्रकृति की कसौटी, राज्य की भूमिका; नीति की आर्थिक अवधारणा, कानून या नीति के संबंध में संविधान के अनुच्छेद 14 की सीमित आकर्षण, नीति में निहित प्रतिबंध और अदालत का कर्तव्य, चूक की माफी नहीं हो सकती थी। इस तरह की अवधारणा व्यापार की वर्तमान प्रकृति के लिए अलग है और एक लाइसेंसधारी इसके तहत किसी भी लाभ का दावा नहीं कर सकता है,

क्योंकि पूरी बात इसके द्वारा नियंत्रित होती है, नियमों का आदेश। [पैरा 21 और 31]
[927-जी; 931-ए-जी 8, डी]

हर शंदर और अन्य आदि बनाम उप उत्पाद शुल्क और कराधान
आयुक्त और अन्य आदि आकाशवाणी 1975 एससी
1121:1975 (3) एससीआर 254; मिस खोडे डिस्टिलरीज
लिमिटेड बनाम कर्नाटक राज्य (1995) 1 एससीसी 574:1994
(4) पूरक एस. सी. आर. 477-अनुसरण किया गया।

अमर चंद्र चक्रवर्ती बनाम आबकारी कलेक्टर, त्रिपुरा सरकार,
अगर्ता/ए और अन्य ए. आई. आर 1972 एस. सी.
1863:1973 (1) एस. सी. आर. 533; नाशिरवारेट.v. मध्य
प्रदेश राज्य और अन्य आकाशवाणी 1975 एससी 360:1975
(2) एससीआर 861; एम. पी. और अन्य का राज्य आदि बनाम
नंदलाल जयस्वाल और अन्य आदि।ए. आई. आर 1987 एस.
सी. 251:1987 (1) एससीआर 1; मिस उगार शुगर वर्क्स
लिमिटेड बनाम दिल्ली प्रशासन और अन्य AIR 2001 SC
1447:2001 (2) एससीआर 630; एम. पी. और अन्य का
राज्य आदि बनाम नंद/अल जैसवाल और अन्य आदि ए. आई.
आर 1987 एस. सी. 251:1987 (1) एससीआर 1; केरा/ए
और अन्न के पी. एन. कृष्ण लाल और अन्य बनाम Govt 1995
पूरक (2) एस. सी. सी. 187:1994 (5) पूरक एससीआर 526;
तमिलनाडु सरकार के सचिव और अन्न बनाम. के. विनयगमूर्ति
एआईआर 2002 एससी 2968:2002 (1) पूरक।एससीआर
683; पंजाब राज्य और अन्न बनाम देवांस मॉडर्न ब्रुअरीज
लिमिटेड और अन्न। (2004) 11 एससीसी 26:2003 (5) पूरक
एस. सी. आर. 930-पर निर्भर।

4. उच्च न्यायालय द्वारा दी गई व्याख्या कि नीलामी-खरीदार लाइसेंस जारी करने की तारीख से भुगतान करने के लिए उत्तरदायी है, लेकिन समझौते की तारीख से नहीं, को स्वीकार नहीं किया जा सकता है, क्योंकि यह भाषा की नियम-24 के विपरीत है। प्रत्यर्थी ने नियमों, अधिसूचना और लाइसेंस में शामिल शर्तों से पूरी तरह से अवगत होने के कारण लाइसेंस का लाभ उठाया था। नियमों में प्रावधान है कि उसे समझौते की तारीख से भुगतान करना होगा और तत्काल मामले में, समझौता 5 जून, 2006 को हुआ था। नियमों में निहित जो हुआ है उसे देखते हुए इस बात में कोई संदेह नहीं हो सकता है कि प्रतिवादी को समझौते की तारीख से लाइसेंस शुल्क का भुगतान करने के लिए उत्तरदायी बनाया जाना चाहिए। [पैरा 31] [931-बी-ई]

मामला कानून संदर्भ

1973 (1) एससीआर 533	पारा 21	पर निर्भर था
1975 (2) एससीआर 861	पारा 22	पर निर्भर था
1975 (3) एससीआर 254	पारा 23	का पालन किया
1987 (1) एससीआर 1	पारा 24	पर निर्भर था
1994 (4) पूरक एससीआर 477	पारा 25	का पालन किया
2001 (2) एससीआर 630	पारा 26	पर निर्भर था
1987 (1) एससीआर 1	पारा 27	पर निर्भर था
1994 (5) पूरक।एससीआर 526	पारा 28	पर निर्भर था
2002 (1) पूरक एससीआर 683	पारा 29	पर निर्भर था
2003 (5) पूरक।एससीआर 930	पारा 30	पर निर्भर था

सिविल अपीलीय क्षेत्राधिकार: सिविल अपील संख्या 128/2013।

2008 के सी. डब्लू. जे. सी., सं. 16577 में पटना में उच्च क्षेत्राधिकार के दिनांकित 18.11.2008 के निर्णय और आदेश से।

अपीलार्थियों के लिए गोपाल सिंह।

प्रतिवादी के लिए शांतनु सागर, प्रीति रश्मि, स्मारहर सिंह, टी. महिपाल।

न्यायालय का निर्णय दीपक मिश्रा, न्यायाधीश

निर्णय

अनुमति दी गई।

2. इस अपील में विचार के लिए महत्वपूर्ण मुद्दा यह है कि क्या पटना स्थित उच्च क्षेत्राधिकार की खंडपीठ ने बिहार उत्पाद शुल्क (देशी/मसालेदार देसी शराब की खुदरा बिक्री के लिए लाइसेंसों का निपटान) नियम, 2004 (संक्षेप में नियम) के प्रभाव और प्रभाव की सही व्याख्या की है? एवं वर्ष 2006-07 के लिए विभिन्न उत्पाद शुल्क दुकानों के लिए किशनगंज के कलेक्टर द्वारा उत्पाद शुल्क फॉर्म 127 में प्रकाशित बिक्री अधिसूचना और लाइसेंस की शर्तें।

3. जैसा कि तथ्यात्मक मैट्रिक्स का विस्तार होगा, किशनगंज के कलेक्टर ने वित्तीय वर्ष 2006-07 के लिए किशनगंज जिले में विभिन्न समूहों में विभिन्न उत्पाद शुल्क दुकानों के निपटान के लिए उत्पाद शुल्क फॉर्म 127 में बिक्री अधिसूचना प्राप्त की, जिसमें यह निर्धारित किया गया था कि 23 मार्च, 2006 को नीलामी-सह-निविदा के आधार पर निपटान किया जाएगा और तदनुसार, इच्छुक व्यक्तियों से आवेदन आमंत्रित किए गए थे। चूंकि उक्त जिले में समूह 'क' दुकानों के संबंध में समझौता नहीं किया जा सका, कलेक्टर ने 17 मई, 2006 को उक्त समूह 'क' के लिए एक दूसरी अधिसूचना जारी की, जिसमें छह देशी शराब की दुकानें और तीन मसालेदार देशी शराब की दुकानें शामिल थीं। 5 जून, 2006 को, समूह 'का' उत्पाद शुल्क दुकानों को 8,29,600/- रुपये के मासिक लाइसेंस शुल्क पर प्रत्यर्थी के पक्ष

में निपटाया गया था। प्रतिवादी ने 7 जून, 2006 को 8,29,594/- रुपये की अग्रिम प्रतिभूति जमा की। और 22 जून, 2006 को 8,29,600/- रु. किशनगंज के कलेक्टर ने आयुक्त को उनके अनुमोदन के लिए आवेदन किया और उसे 1 जुलाई, 2006 को कलेक्टर के कार्यालय में 5 जुलाई, 2006 को प्रदान किया गया और उसी दिन प्रत्यर्थी-लाइसेंसी के पक्ष में लाइसेंस जारी किया गया। यह अपीलार्थी का मामला है कि क्योंकि प्रत्यर्थी ने नियमों के तहत निर्धारित अग्रिम प्रतिभूति के रूप में वार्षिक लाइसेंस शुल्क की अपेक्षित 1/4 राशि जमा नहीं की, लेकिन तीन किस्तों में ऐसा किया, नियमों के नियम १७ (ख) के संदर्भ में उत्पाद शुल्क आयुक्त से अनुमोदन प्राप्त करने में देरी हुई। अग्रिम जमा के भुगतान में देरी के बावजूद, कलेक्टर ने अनुमोदन के लिए उनके मामले की सिफारिश की थी और अंततः, आयुक्त ने समूह (क) की दुकानों के संबंध में लाइसेंस प्रदान करने को मंजूरी दी और अंततः 5 जुलाई, 2006 को लाइसेंस जारी किया गया, जैसा कि पहले कहा गया है।

4. लाइसेंस की शर्तों का उल्लंघन होने के कारण उत्पाद शुल्क द्वारा 5 जून, 2006 से 5 जुलाई, 2006 तक की अवधि के लिए एक मांग की गई थी। अधीक्षक, अररिया-सह-किशनगंज 27 मार्च, 2007 को। मांग नोटिस प्राप्त होने पर, प्रत्यर्थी ने 29 अप्रैल, 2007 को आबकारी अधीक्षक से इस आधार पर मांग वापस लेने के लिए कहा कि उसने उस अवधि के दौरान विशेषाधिकार का उपयोग नहीं किया था। इसके बाद, उसने आबकारी आयुक्त के समक्ष मांग नोटिस को चुनौती दी, जिसने 18 सितंबर, 2008 के आदेश द्वारा आवेदन को अस्वीकार कर दिया। उक्त आदेश से व्यथित होकर उसने 2008 की सीडब्ल्यूजेसी संख्या 16577 में रिट क्षेत्राधिकार का उपयोग करते हुए उच्च न्यायालय का रुख किया।

5. उच्च न्यायालय ने नियम 16,17,20,22 और 24 का निर्देश किया और निम्नलिखित रूप में अपनी राय अभिलिखित की:-

“दुकानों का वह समूह उत्पाद शुल्क वर्ष के बीच में याचिकाकर्ता के पक्ष में निपटाया गया विवाद में नहीं है। यह भी एक तथ्य है कि ५ जून, २००६, पर याचिकाकर्ता द्वारा किशनगंज जिले के समूह के

उत्पाद शुल्क की दुकानों के लिए की गई बोली सबसे अधिक थी और इस तरह की स्वीकृति द्वारा नीलामी प्राधिकारी द्वारा स्वीकार की गई, उत्पाद शुल्क आयुक्त की मंजूरी के अधीन है। ऐसा भी कोई विवाद प्रतीत नहीं होता है कि याचिकाकर्ता की ओर से अग्रिम सुरक्षा राशि के भुगतान में कुछ चूक हुई थी। हालांकि, ऐसा लगता है कि डिफॉल्ट को माफ कर दिया गया है क्योंकि कथित डिफॉल्ट के बावजूद, उसकी बोली जून, 2006 को रद्द नहीं किया गया था और 5 जुलाई, 2006 को नियमों के फॉर्म 26 सी में लाइसेंस जारी किया गया था। नियमों के नियम 16 और 17 को एक साथ पढ़ने पर पता चलता है कि नीलामी प्राधिकारी द्वारा बोली को अंतिम रूप से स्वीकार करने से बोलीकर्ता को लाइसेंस प्राप्त करने का अधिकार नहीं मिलता है क्योंकि उक्त बोली उत्पाद शुल्क आयुक्त द्वारा स्वीकार की जानी है और आयुक्त द्वारा इसे स्वीकार करने के बाद ही लाइसेंस जारी किया जाता है। पूर्वोक्त कानूनी स्थिति की पृष्ठभूमि में, जब हम वर्तमान मामले के तथ्यों पर गौर करते हैं, तो यह देखा जा सकता है कि हालांकि याचिकाकर्ता की उच्चतम बोली 5 जून, 2006 को स्वीकार की गई थी, लेकिन यह केवल 30 जून, 2006 को था कि लाइसेंसिंग प्राधिकरण ने निपटान के अनुमोदन के लिए उत्पाद शुल्क आयुक्त को सिफारिश की और इसे 1 जुलाई, 2006 को आबकारी आयुक्त, बिहार द्वारा अनुमोदित किया गया था और 5 जुलाई, 2006 को आबकारी आयुक्त से अनुमोदन प्राप्त होने के बाद, लाइसेंसिंग प्राधिकरण द्वारा लाइसेंस जारी किया गया था। निश्चित रूप से, तथ्यों की पृष्ठभूमि में कि लाइसेंस ५ जुलाई, २००६, को जारी किया गया था, याची को ५ जून, २००६ से लाइसेंस शुल्क का भुगतान करने के दायित्व के साथ नहीं जोड़ा जा सकता था।”

[रेखांकित करना हमारा है]

6. उपर्युक्त निष्कर्ष की शुद्धता पर प्रश्न उठाते हुए, बिहार राज्य के विद्वत अधिवक्ता श्री गोपाल सिंह द्वारा यह प्रस्तुत किया गया है कि उच्च न्यायालय ने यह अर्थ लगाकर त्रुटियां की हैं कि व्यतिक्रम को क्षमा कर दिया गया है जबकि ऐसे व्यापार में क्षमा की कोई अवधारणा नहीं है। उसके द्वारा यह आग्रह किया गया है कि चूंकि नियमों के अनुसार अपेक्षित अग्रिम लाइसेंस शुल्क जमा नहीं किया गया था, इसलिए पहले अनुमोदन प्राप्त नहीं किया जा सकता था और इसलिए विभाग को राजस्व का अधिक नुकसान नहीं होना चाहिए, क्योंकि लाइसेंसधारक ने लाइसेंस में प्रगणित शर्तों को स्वीकार कर लिया था। इसके अलावा, श्री सिंह को प्रस्तुत करता है, नियमों के अनुसार, ऐसी स्थिति में, प्रत्यर्थी कानूनी रूप से निपटान की तारीख से लाइसेंस शुल्क का भुगतान करने के लिए बाध्य था।

7. प्रतिवादी की ओर से उपस्थित विद्वान अधिवक्ता श्री शांतनु सागर ने प्रतिवाद किया है कि उच्च न्यायालय ने इस विवाद का सही निर्धारण किया है कि दायित्व लाइसेंस जारी करने की तारीख से होगा और उससे पहले नहीं, क्योंकि जब तक लाइसेंस जारी नहीं किया जाता है, वह शराब का व्यापार नहीं कर सकता है और आगे यह नहीं कहा जा सकता है कि राज्य अनन्य विशेषाधिकार से अलग हो गया है।

8. विवाद को समझने के लिए कतिपय नियमों का निर्देश करना आवश्यक है। नियमों का नियम 16 बोली या निविदाओं की स्वीकृति से संबंधित है। इसका पाठ इस प्रकार है:

“16. निविदा या निविदाओं की स्वीकृति - (1) नीलामी प्राधिकरण उच्चतम बोली या निविदा या किसी भी बोली को स्वीकार करने के लिए बाध्य नहीं होगा। यदि उच्चतम बोली या निविदा स्वीकार नहीं की जाती है, तो लाइसेंसिंग अधिकारी तुरंत कारणों का उल्लेख करते हुए नई नीलामी की तारीख की घोषणा करेगा। ऐसी स्थिति में, जमा की गई पूरी अग्रिम राशि उन आवेदकों को वापस कर दी जाएगी जो बाद की नीलामी में भाग नहीं लेना चाहते हैं।

(2) यदि किसी नीलामी में बोली की राशि को अंतिम रूप से स्वीकार कर लिया जाता है तो उस बोली के संबंध में किसी भी बाद के प्रस्ताव पर विचार नहीं किया जाएगा। लाइसेंसिंग प्राधिकरण या नीलामी का संचालन करने वाले अधिकारी द्वारा आगे कोई बातचीत नहीं की जाएगी।”

9. नियमों का नियम 17, जो बोली की अंतिम स्वीकृति का प्रावधान करता है, निम्नानुसार है:

“17. बोली की अंतिम स्वीकृति - (क) सबसे अधिक बोली लगाने वाले व्यक्ति को दुकान या दुकानों के समूह के लिए खुदरा बिक्री का विशेष विशेषाधिकार देने की सिफारिश और नियम 16 के तहत स्वीकृति, लाइसेंसिंग अधिकारी द्वारा उत्पाद शुल्क आयुक्त को भेजी जाएगी, और उसकी स्वीकृति के बाद एक लाइसेंस जारी किया जाएगा। (ख) अधिकतम बोली की राशि, स्वीकृत की जाएगी जो लाइसेंस शुल्क की वार्षिक राशि होगी।”

10. उपरोक्त दो नियमों के अवलोकन पर, यह स्पष्ट है कि नीलामी का संचालन करने वाला लाइसेंसिंग अधिकारी बोली को स्वीकार करता है और उसके बाद, इसके लिए खुदरा बिक्री का विशेष विशेषाधिकार प्रदान करने के लिए अपनी सिफारिश भेजता है। आयुक्त को दुकानों या दुकानों का समूह और उसकी स्वीकृति के बाद लाइसेंस जारी किया जाता है। इस नियम का प्रासंगिक हिस्सा यह है कि स्वीकृत उच्चतम बोली की राशि लाइसेंस शुल्क की वार्षिक राशि होगी।

11. नियम 19 में निर्धारित तरीके से अग्रिम प्रतिभूति के भुगतान का प्रावधान है। उक्त नियम को यहां पुनः प्रस्तुत किया गया है:

“19. अग्रिम प्रतिभूति का भुगतान - उच्चतम बोली की स्वीकृति की घोषणा के बाद लाइसेंसिंग प्राधिकरण द्वारा वार्षिक लाइसेंस शुल्क

के एक चौथाई हिस्से का भुगतान अग्रिम प्रतिभूति के रूप में किया जाएगा:-

(क) वार्षिक लाइसेंस शुल्क के छठे हिस्से के बराबर राशि तुरंत नकद या बैंक ड्राफ्ट के रूप में जमा की जाएगी। नकद/बैंक ड्राफ्ट की राशि और नियम 11 (ए) और नियम 11 (सी) के तहत पहले जमा की गई अग्रिम राशि को प्रतिभूति राशि में समायोजित किया जाएगा।

(ख) अग्रिम प्रतिभूति के कारण देय शेष राशि नीलामी के दस दिनों के भीतर या लाइसेंस शुरू होने से पहले, इनमें से जो भी पहले हो, जमा करानी होगी।”

12. उपर्युक्त नियम को सरल रूप से पढ़ने पर यह स्पष्ट हो जाता है कि उच्चतम बोली लगाने वाले को इस नियम के उपखंड (ए) और (बी) में दी गई व्यवस्था के अनुसार अग्रिम प्रतिभूति राशि के रूप में वार्षिक लाइसेंस शुल्क का एक चौथाई हिस्सा तत्काल जमा करना होगा।

13. नियम 20 अग्रिम प्रतिभूति में व्यतिक्रम के परिणामों से संबंधित है। इसका पाठ इस प्रकार है:-

“20. अग्रिम सुरक्षा में चूक - निर्धारित समय के भीतर नियम 19 में उल्लिखित अग्रिम प्रतिभूति की राशि जमा करने में विफल रहने की स्थिति में, निपटान और लाइसेंस, यदि जारी किया जाता है, रद्द कर दिया जाएगा और जमा की गई राशि, यदि कोई हो, सरकार को जब्त कर ली जाएगी। ऐसी स्थिति में लाइसेंसिंग प्राधिकरण द्वारा पुनः नीलामी या वैकल्पिक व्यवस्था की जाएगी।”

14. उपर्युक्त नियम की समुचित जांच करने पर स्पष्ट रूप से यह अभिनिर्धारित किया जाता है कि यदि अग्रिम प्रतिभूति राशि नियम 19 के तहत निर्धारित समय सीमा के अनुसार जमा नहीं की जाती है, तो निपटान और लाइसेंस,

यदि जारी किया जाता है, रद्द हो जाएगा और जमा की गई राशि, यदि कोई हो, सरकार को जब्त कर ली जाएगी। इस प्रकार, निपटान और लाइसेंस जारी करने के बीच अंतर है।

15. नियम 23 अग्रिम प्रतिभूति राशि के समायोजन/वापसी से संबंधित है। इसमें कहा गया है कि नियम 19 में उल्लिखित सुरक्षा राशि निपटान अवधि के अंत में वापस कर दी जाएगी, बशर्ते कि नीलामी की गई दुकान या दुकानों के समूह के संबंध में राज्य सरकार के सभी बकाये और दावों का भुगतान लाइसेंसधारी द्वारा पहले ही कर दिया गया हो।

16. नियम 24 लाइसेंस की अवधि के प्रारंभ से संबंधित है। यह इस प्रकार है:.

“24. लाइसेंस की अवधि का प्रारंभ - किसी भी नीलामी-खरीदार के पक्ष में जारी किया गया लाइसेंस उत्पाद शुल्क वर्ष के 1 अप्रैल से प्रभावी होगा, जब तक कि लाइसेंसिंग प्राधिकरण अन्यथा आदेश न दे। नीलामी-खरीदार लाइसेंस अवधि के पहले दिन से बोली की राशि का भुगतान करने के लिए उत्तरदायी होगा, भले ही लाइसेंस उसके बाद जारी किया गया हो।

बशर्ते कि यदि किसी दुकान या दुकानों के समूह का निपटान उत्पाद शुल्क वर्ष के बीच में किया जाता है, तो लाइसेंस दुकान या दुकानों के समूह के निपटान की तारीख से शुरू होगा।

लाइसेंसिंग प्राधिकरण को प्रत्येक उत्पाद शुल्क वर्ष के लिए बिक्री अधिसूचना में तय की जाने वाली दुकानों/लाइसेंसों और उन लाइसेंसों के तहत उठाई जाने वाली वार्षिक न्यूनतम गारंटीकृत मात्रा और आरक्षित शुल्क का विवरण देना होगा।”

17. उक्त नियम को सावधानीपूर्वक एक्स-रे किया जाना चाहिए और समझा जाना चाहिए। यह स्पष्ट रूप से निर्धारित करता है कि लाइसेंस उत्पाद शुल्क वर्ष के 1 अप्रैल से प्रभावी होगा और नीलामी-क्रेता लाइसेंस अवधि के पहले दिन से बोली की राशि का भुगतान करने के लिए उत्तरदायी होगा, भले ही लाइसेंस उसके बाद जारी किया गया हो। इस प्रावधान में यह भी कहा गया है कि यदि किसी दुकान या दुकानों के समूह का निपटान उत्पाद शुल्क वर्ष के बीच में किया जाता है, तो लाइसेंस दुकान या दुकानों के समूह के निपटान की तारीख से शुरू होगा।

18. उच्च न्यायालय ने, नियम की स्थिति की व्याख्या करते हुए, यह राय व्यक्त की है कि वर्ष के मध्य में अर्थात् 5 जून, 2006 को दुकानों का निपटान प्रत्यर्थी के पक्ष में किया गया था और 1 जुलाई, 2006 को उत्पाद शुल्क आयुक्त से अनुमोदन प्राप्त करने के बाद, लाइसेंस 5 जुलाई, 2006 को लाइसेंसिंग प्राधिकरण द्वारा जारी किया गया था और इसलिए, 5 जून, 2006 से 5 जुलाई, 2006 की अवधि के लिए लाइसेंस शुल्क की मांग स्थायी नहीं है।

19. जैसा कि तथ्यात्मक मैट्रिक्स से पता चलता है, फॉर्म संख्या 127 में अधिसूचना 23 मार्च, 2006 को जारी की गई थी। उत्पाद शुल्क दुकानों के निपटान के नियम और शर्तों को बिक्री अधिसूचना में विधिवत शामिल किया गया था और नियम 8 के अनुसार, अधिसूचना में उल्लिखित नियम और शर्तें लाइसेंस की शर्तों में शामिल मानी जाती हैं। पहली अधिसूचना के अनुसार, तीनों देशी स्पिरिट दुकानों का निपटान नहीं किया जा सका और निपटान के लिए आगे के कदम उठाए गए और, अंततः, प्रतिवादी की बोली को 5 जून, 2006 को 99,55,200/- रुपये के वार्षिक लाइसेंस शुल्क के साथ या 8,29,600/- रुपये के मासिक शुल्क पर स्वीकार किया गया। प्रतिवादी से अग्रिम प्रतिभूति राशि के रूप में वार्षिक लाइसेंस शुल्क का 1/4 वां हिस्सा अदा करने की अपेक्षा की गई थी, लेकिन वह समय पर ऐसा करने में विफल रहा। पहली किस्त 7 जून, 2006 को, दूसरी 22 जून, 2006 को और तीसरी किस्त 17 जुलाई, 2006 को जमा की गई। नियम 19 (ए) के अनुसार उसे वार्षिक लाइसेंस शुल्क का 1/6 हिस्सा तुरंत नकद या बैंक ड्राफ्ट के रूप में जमा करना था। अग्रिम

प्रतिभूति की शेष राशि नीलामी के दस दिनों के भीतर या लाइसेंस शुरू होने से पहले जमा की जानी थी। इस प्रकार, प्रतिवादी उक्त नियम का पालन करने में विफल रहा। तथापि, समाहर्ता ने 30 जून, 2006 को उसके मामले की सिफारिश की जिसे 1 जुलाई, 2006 को स्वीकार कर लिया गया और 5 जुलाई, 2006 को लाइसेंस जारी कर दिया गया। यह ध्यान देने योग्य है कि उसके बाद, उत्पाद शुल्क अधीक्षक द्वारा 16,03,893/- रुपये का मांग नोटिस जारी किया गया था। आयुक्त ने इस तथ्य का संज्ञान लिया कि 74,36,071/- रुपये में से लाइसेंसी ने 66,36,794/- रुपये का भुगतान किया था और इसलिए, 7,99,277/- रुपये की राशि का भुगतान किया जाना बाकी था। यह उल्लेखनीय है कि 3 मार्च, 2007 को लाइसेंस अन्य शर्तों के उल्लंघन के लिए रद्द कर दिया गया था और वर्तमान मामले में, हम उन शर्तों से चिंतित नहीं हैं, क्योंकि प्रेसेंटी में विवाद केवल 5 जून, 2006 से 5 जुलाई, 2006 को शुरू होने वाली मांग से संबंधित है।

20. उच्च न्यायालय ने यह मत व्यक्त किया है कि राज्य लाइसेंस जारी किए जाने तक अनन्य विशेषाधिकार से अलग नहीं हुआ था। नियम 24 के तहत नीलामी-खरीदार के पक्ष में जारी किया गया लाइसेंस उत्पाद शुल्क वर्ष के 1 अप्रैल से प्रभावी होगा, जब तक कि लाइसेंसिंग प्राधिकरण अन्यथा आदेश न दे और नीलामी खरीदार भुगतान करने के लिए उत्तरदायी न हो। लाइसेंस अवधि के पहले दिन से बोली की राशि, भले ही लाइसेंस उसके बाद जारी किया गया हो। इसके अलावा, उससे समझौता अवधि के शुरू होने से लाइसेंस शुल्क का भुगतान करने की अपेक्षा की जाती है और लाइसेंस निपटान की तारीख से शुरू होता है। हाथ में मामले में, 5 जून, 2006 को इसका निपटान किया गया था। लाइसेंस 5 जुलाई, 2006 को जारी किया गया था। उच्च न्यायालय ने इस आधार पर डिफॉल्ट को माफ करने के सिद्धांत का सहारा लिया है कि अग्रिम प्रतिभूति जमा करने में चूक के बावजूद, लाइसेंसिंग अधिकारी ने उत्पाद शुल्क आयुक्त को अनुमोदन के लिए अपने मामले की सिफारिश की है। जैसा कि हम देखते हैं, यदि नियम 19 का उल्लंघन होता है, जो अग्रिम सुरक्षा के लिए निर्धारित करता है, तो डिफॉल्ट लागू होता है। इस तथ्य पर कोई विवाद नहीं है कि इसमें देरी हुई थी। प्रतिवादी इसके लिए स्पष्ट रूप से जिम्मेदार था। लाइसेंसिंग

अधिकारी ने अपने मामले की सिफारिश करना उचित समझा और आबकारी आयुक्त ने इसे मंजूरी दी और मंजूरी मिलने के बाद उसी दिन लाइसेंस जारी कर दिया गया। प्रतिवादी ने पूरी तरह से जानते हुए लाइसेंस स्वीकार किया। लाइसेंस के निबंधन और शर्तें तथा यह कि उसे समझौते की तारीख से लाइसेंस शुल्क का भुगतान करना होगा।

21. इस मोड़ पर, हम इस मुद्दे पर उपयोगी रूप से ध्यान दे सकते हैं कि क्या इस प्रकृति के मामले में, आचरण के माध्यम से चूक को माफ करने का सिद्धांत आकर्षित किया जा सकता है। सबसे पहले, नियमों के तहत, अधिकारी जमा की गई राशि को जब्त करने के हकदार हैं जब नियमों का अनुपालन नहीं होता है। यह ध्यान में रखा जाना चाहिए कि व्यापार की प्रकृति भी इसकी प्रकृति है। इसका अपना महत्व है। अमर चंद्र चक्रवर्ती बनाम उत्पाद शुल्क कलेक्टर, त्रिपुरा सरकार, अगरतला और अन्य वाले मामले में इस न्यायालय ने इस प्रकार अभिनिर्धारित कियाः.

“देसी शराब का व्यापार या व्यवसाय राज्य और समाज द्वारा अपनी अंतर्निहित प्रकृति से एक विशेष श्रेणी के रूप में माना जाता है जिसके लिए विधायी नियंत्रण की आवश्यकता होती है जो कई दशकों से पूरे भारत में लागू है। स्वास्थ्य पर शराब के अत्यधिक सेवन के हानिकारक प्रभाव को ध्यान में रखते हुए इस व्यापार या व्यवसाय को अपने आप में एक वर्ग माना जाना चाहिए और इसे अनुच्छेद 14 पर विचार करते समय अन्य व्यवसायों के समान आधार पर नहीं माना जा सकता है।”

22. नासिरवार आदि बनाम मध्य प्रदेश राज्य और अन्य के मामले में, इस न्यायालय ने यह राय व्यक्त की कि राज्य को शराब के निर्माण और बिक्री में अनन्य अधिकार या विशेषाधिकार है और एक नागरिक को शराब में व्यवसाय करने का कोई मौलिक अधिकार नहीं है। यह भी निर्णय दिया गया है कि हानिकारक या खतरनाक वस्तुओं के व्यापार को प्रतिबंधित करके सार्वजनिक नैतिकता को लागू करना राज्य की पुलिस के अधिकार में है।

23. हर मंदिर और अन्य आदि बनाम उप उत्पाद शुल्क और कराधान आयुक्त और अन्य में संविधान पीठ ने इन सिद्धांतों को दोहराया कि नशीले पदार्थों में व्यापार या व्यवसाय करने का कोई मौलिक अधिकार नहीं है और राज्य को नशीले पदार्थों के संबंध में निर्माण, भंडारण, निर्यात, आयात, बिक्री और कब्जे सहित हर प्रकार की गतिविधि को प्रतिबंधित करने का अधिकार है। यह भी अधिकथित किया गया है कि पूर्ण रूप से प्रतिषिद्ध करने के व्यापक अधिकार में मादक पदार्थों में लेन-देन की अनुमति देने का संकीर्ण अधिकार शामिल होगा जैसा कि राज्य समीचीन समझता है।

24. मध्य प्रदेश राज्य और अन्य बनाम नंदलाल जायसवाल और अन्य आदि वाले मामले में इस न्यायालय ने यह अभिनिर्धारित किया कि शराब का व्यापार स्वाभाविक रूप से दंडात्मक प्रकृति का है।

25. मैसर्स खोडे डिस्टिलरीज लिमिटेड बनाम कर्नाटक राज्य में संविधान पीठ ने फैसला सुनाया है कि व्यवसाय, व्यापार या व्यवसाय करने का अधिकार व्यापार या व्यवसाय या किसी भी ऐसी गतिविधि पर लागू नहीं होता है जो आम जनता के कल्याण के खिलाफ है। इसमें आगे यह अभिनिर्धारित किया गया है कि एक नागरिक को शराब के रूप में नशीले पदार्थ में व्यापार करने का कोई मौलिक अधिकार नहीं है।

26. मैसर्स उगर शुगर वर्क्स लिमिटेड बनाम भारत संघ, एआईआर 1995 एससी 439 दिल्ली प्रशासन और अन्य में, इस न्यायालय के उक्त सिद्धांत और राज्य की नियामक शक्तियों पर जोर दिया और दोहराना।

27. मध्य प्रदेश और अन्य राज्यों/आदि बनाम नंदलाल जायसवाल और अन्य आदि में दो न्यायाधीशों की न्यायपीठ आदि ने यह विचार व्यक्त करना कि संविधान का अनुच्छेद 14 निम्नलिखित के लिए अनन्य अधिकार या विशेषाधिकार प्रदान करने के लिए आकर्षित है, शराब का विनिर्माण और विक्रय, क्योंकि इसमें राज्य की उदारता अंतर्वलित है, इस प्रकार कहा गया है:.

“33. लेकिन, ऐसे मामले में अनुच्छेद 14 की प्रयोज्यता पर विचार करते समय, हमें यह ध्यान रखना चाहिए कि व्यापार या व्यवसाय की प्रकृति को ध्यान में रखते हुए, न्यायालय शराब के निर्माण और बिक्री के लिए लाइसेंस प्रदान करने के लिए राज्य सरकार द्वारा निर्धारित नीति में हस्तक्षेप करने में धीमा होगा। न्यायालय, वस्तु की स्वाभाविक रूप से हानिकारक प्रकृति को ध्यान में रखते हुए, शराब के विनियमन, निर्माण और व्यापार की अपनी नीति को निर्धारित करने में राज्य सरकार को बड़े पैमाने पर छूट देगा। इसके अलावा, शराब के निर्माण और बिक्री के लिए लाइसेंस प्रदान करना अनिवार्य रूप से आर्थिक नीति का मामला होगा, जहां न्यायालय हस्तक्षेप करने और राज्य सरकार द्वारा किए गए कार्यों को रद्द करने में संकोच करेगा, जब तक कि यह स्पष्ट रूप से मनमाना, अतार्किक या असद्भाव प्रतीत न हो या असद्भाव।”

[जोर दिया गया]

28. पी. एन. कृष्ण लाल और अन्य बनाम केरल सरकार वाले मामले में न्यायालय ने इस प्रकार व्यक्त किया:

“28.....अथवा ऐसा व्यवसाय जो जनता के स्वास्थ्य और कल्याण के लिए हानिकारक हो और व्यवसाय से उन्मूलन और बहिष्कार शराब व्यवसाय की प्रकृति में अंतर्निहित है। नीति बनाने की विधायिका की शक्ति और अनुमानित साक्ष्य जुटाने की उसकी क्षमता पर इस परिदृश्य से विचार किया जाना चाहिए।”

[जोर दिया गया]

29. तमिलनाडु सरकार के सचिव और एक अन्य बनाम भारत संघ और एक अन्य, में यह निम्नलिखित रूप में आयोजित किया गया है:

“7.....जहां तक हानिकारक या खतरनाक वस्तुओं के व्यापार का संबंध है, कोई भी नागरिक इसमें व्यापार करने का दावा नहीं कर सकता है और नशीली शराब एक हानिकारक सामग्री है, कोई भी नागरिक खुदरा द्वारा नशीली शराब बेचने के किसी भी अंतर्निहित अधिकार का दावा नहीं कर सकता है। इसे राज्य के नागरिक के विशेषाधिकार के रूप में दावा नहीं किया जा सकता। यह स्थिति होने के कारण, कोई भी प्रतिबंध जो राज्य सामने लाता है, अनुच्छेद 19 (6) के अर्थ में एक उचित प्रतिबंध होना चाहिए और प्रतिबंध की तर्कसंगतता एक व्यापार से दूसरे व्यापार में भिन्न होगी और सभी व्यवसायों के संबंध में कोई कठोर नियम निर्धारित नहीं किया जा सकता है।....”

30. पंजाब राज्य और एक अन्य बनाम पंजाब राज्य और अन्य, में यह दोहराया गया है कि शराब का व्यापार स्वाभाविक रूप से हानिकारक माना जाता है।

31. हमने व्यापार की प्रकृति, राज्य की भूमिका, नीति की आर्थिक अवधारणा, विधान या नीति के संबंध में संविधान के अनुच्छेद 14 की सीमित आकर्षण, नीति में अंतर्निहित निर्बन्धन और न्यायालय के कर्तव्य को बढ़ाने के लिए पूर्वोक्त विनिश्चयों का निर्देश किया है। पूर्वोक्त कसौटी पर, हमें यह देखने की आवश्यकता है कि क्या आचरण द्वारा क्षमा के सिद्धांत, विशेष रूप से वर्तमान मामले में, उच्च न्यायालय द्वारा सहारा लिया जा सकता था। प्रतिवादी ने नियमों, अधिसूचना और लाइसेंस में शामिल शर्तों से पूरी तरह अवगत होने के कारण लाइसेंस का लाभ उठाया था। नियमों में यह प्रावधान है कि उसे निपटान की तारीख से भुगतान करना होगा और इस मामले में, निपटान 5 जून, 2006 को हुआ। नियमों में जो लिखा गया है, उसे ध्यान में रखते हुए, इस बात में कोई संदेह नहीं हो सकता है कि प्रत्यर्थी को निपटान की तारीख से लाइसेंस शुल्क का भुगतान करने के लिए उत्तरदायी बनाया जाना चाहिए। डिफॉल्ट को माफ नहीं किया जा सकता था। इस तरह की अवधारणा व्यापार की वर्तमान प्रकृति से अलग है और कोई लाइसेंसधारी इसके तहत किसी

लाभ का दावा नहीं कर सकता है क्योंकि पूरी बात नियमों के आदेश द्वारा शासित होती है। इसके अलावा हम उच्च न्यायालय द्वारा की गई इस व्याख्या को स्वीकार करने में असमर्थ हैं कि नीलामी-क्रेता लाइसेंस जारी करने की तारीख से भुगतान करने के लिए उत्तरदायी है, लेकिन निपटान की तारीख से नहीं क्योंकि यह नियम 24 की सादी भाषा के विपरीत है। अधिसूचना, जो लाइसेंस के नियम और शर्तों और व्यापार की प्रकृति बनाती है, के साथ व्यापक रूप से नियमों को पढ़ते हुए, अप्रतिरोध्य निष्कर्ष यह है कि निपटान की तारीख से देयता प्रोद्भूत हुई और इसलिए, हम पाते हैं कि उत्पाद शुल्क आयुक्त द्वारा पारित आदेश न्यायसंगत और उचित था और इसमें हस्तक्षेप करने के लिए उच्च न्यायालय की ओर से कोई वारंट नहीं था।

32. नतीजतन, अपील की अनुमति दी जाती है, उच्च न्यायालय द्वारा पारित आदेश को रद्द कर दिया जाता है और उत्पाद शुल्क आयुक्त का आदेश बहाल कर दिया जाता है। पक्षकार अपने-अपने खर्चों को वहन करेंगे।

[के. एस. राधाकृष्णन, न्यायमूर्ति]

[दीपक मिश्रा, न्यायमूर्ति]

नई दिल्ली,

08 जनवरी, 2013

खण्डन (डिस्क्लेमर) :- स्थानीय भाषा में निर्णय के अनुवाद का आशय, पक्षकारों को इसे अपनी भाषा में समझने के उपयोग तक ही सीमित है और अन्य प्रयोजनार्थ इसका उपयोग नहीं किया जा सकता। समस्त व्यवहारिक, कार्यालयी, न्यायिक एवं सरकारी प्रयोजनार्थ, निर्णय का अंग्रेजी संस्करण ही प्रमाणिक होगा साथ ही निष्पादन तथा कार्यान्वयन के प्रयोजनार्थ अनुमान्य होगा।